

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


## —:: कार्यालय-आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतमान) नियम-2017(NO F.15(1) FD/RULES/2017 JAIPUR-DATED 30.10.2017 & 09.12.2017) के अनुसार निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 7 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	KAVITA MAHESHWARI MAHATMA GANDHI (ENGLISH MEDIUM), STATION ROAD, BARMER (220913)	27-09-64	Economics (Arts Stream)	02-07-90	DPC	30 वर्ष	PML-14	02-07-2020

उक्त कार्मिको का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।

www.rajsevak.com

  
(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक -14/12/2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19 /37

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक /मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा .....
2. संबंधित जिला अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि./राबाउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फंजिका

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 (NO F.15(1)FD/RULES/2017 JAIPUR - DATED 30.10.2017&09.12.2017) के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (राजनीति विज्ञान) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोपजनक सेवावधि पूर्ण करने पर व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/लेखाधिकारी की अनुशंसा अनुसार उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रमा	नाम व्याख्याता भव्य पदस्थापन (राजमाधि/राजाउमाधि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I, II, III	वेतन वेन्ड/पे मेट्रिक्स	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पे मेट्रिक्स संकेत नं	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	HEMLATA PAREEK- LAMIBA BAZAR MANOHARPUR (218418) SHAHPURA, JAIPUR	27.10.64	02.07.90	डीपीसी 11-12	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-14	02.07.20
2	MANOJ KUMAR BHATT- KASIMPUR (211825) DHAULPUR	01.10.63	12.12.89	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	12.12.19
3	BHAWANI SHANKAR SHARMA- BALAWALA (218223) SANGANER, JAIPUR	03.05.70	15.09.90	डीपीसी 16-17	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	15.09.20
4	GIRDHARI LAL- NANGALIYA GURJARWAS (216015) KHETRI, JHUNJHUNUN	11.12.65	16.02.90	डीपीसी 16-17	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	16.02.20
5	RAGHUVEER SINGH VEERGOTA- ROTWARA (218862) PHAGI, JAIPUR	05.11.69	10.09.90	डीपीसी 16-17	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	10.09.20
6	RAJESH KUMAR- MAKRO (215901) BUIJANA, JHUNJHUNUN	10.07.74	01.07.99	डीपीसी 14-15	II 20वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	01.07.19
7	SURENDER KUMAR SHARMA- BAGAWAS CHOURASI (218319) VIRATNAGAR, JAIPUR	14.10.69	20.02.90	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	20.02.20
8	BABU LAL BAIRWA- LANKA (213001) SIKRAI, DAUSA	01.07.61	19.02.90	डीपीसी 16-17	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	19.02.20
9	KAMLA RANWA- SHAHEED RAJENDRA SINGH HAMIRPURA (213209) LAXMANGARH, SIKAR	05.06.67	11.08.89	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	11.08.19
10	SUDESH SHARMA- JHANSAL (214632) BHADRA, HANUMANGARH	15.08.62	18.01.90	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	18.01.20
11	SURESH KUMAR VERMA-SHRI NARSARAM PUROHIT BHARAUNDA KALAN (215821) CHIRAWA, JHUNJHUNUN	05.07.67	11.09.90	डीपीसी 15-16	III 30वर्ष	पे-मेट्रिक्स	PML-13	11.09.20

उक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रतिलिपि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.